न्यायालय– जिलाधिकारी, सहरसा।

आंगनवाड़ी अपील वाद– 07/2013

शांति देवी वनाम किरण देवी

–:: आदेश ::–

3-7-2011

प्रस्तुत आंगनवाड़ी अपील अपीलार्थी शान्ति देवी द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–538/2005 में दिनांक– 13.11.2007 को पारित आदेश के आलोक में दाखिल किया गया है।

आवेदिका ने ग्राम– पुरीख, टोला– गोढ़ी टोला, पोस्ट– पुरूषोत्तमपुर, प्रखण्ड– सत्तरकटैया, जिला– सहरसा का स्थाई निवासी है एवं ग्राम पंचायत पुरीख का बहू है। कल्याण विभाग के पत्रांक– 1129 दिनांक– 13.06.1998 के आलोक में पुरीख पंचायत के गोढ़ी टोला में आंगनवाड़ी केन्द्र संख्या–2 के स्थापना हेतु तथा उसमें ऑगनवाड़ी सेविका और सहायिका के चयन हेतु सूचना प्रकाशित की गई। आंगनवाड़ी केन्द्र संख्या–2 वर्त्तमान में 18–गोढ़ियारी टोला पुरीख की सेविका के पद हेतु आवेदिका ने आवेदन दी। गोढ़ी टोला पुरीख में गोढ़ी जाति के गोढ़ी बाहुल्य क्षेत्र है, जिसके अन्तर्गत आवेदिका गोढ़ी जाति से एकमात्र अभ्यर्थी थी, जो कंडिका–6 के दर्शाये गये शर्त्तो को आवेदिका पुरा करती है। पंचायत के मुखिया एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कहरा द्वारा दिनांक– 10.11.2004 को आम सभा बुलाई गई एवं ऑगनवाड़ी सेविका के रूप में मुखिया और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सत्तरकटैया द्वारा आवेदिका का आम सभा में चयन किया गया क्योंकि आवेदिका गोढ़ी जाति बाहुल्य क्षेत्र है। जाति बाहुल्य क्षेत्र के आवेदक रहने पर उनसे ज्यादा अहर्त्ता रखने वाले अन्य बाहर के आवेदक पर वरीयता दी जायेगी इस हेतु आवेदिका का उक्त पद पर आम सहमति से आम सभा में चयन किया गया, कल्याण विभाग के पत्रांक 122/11 दिनांक– 15.09.2004 के द्वारा निर्धारित की गई थी। चयन के बाद ऑगनवाड़ी सेविका के रूप में योगदान लेने की बात जब बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कहरा द्वारा सहरसा आकर लेने की बात कही गई, लेकिन बाद में गुप्त रूप से विपक्षी संख्या–1 किरण देवी, पति– अनिल कुमार झा, ग्राम– पुरीख, ब्राहमण टोला का योगदान करा लिया गया, जिसका विरोधी ग्राम पंचायत के मुखिया और ग्रामीणों द्वारा किया गया तथा इसकी लिखित शिकायत वरीय पदाधिकारी को दी गई। वरीय पदाधिकारी के आदेश पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी गॉव आकर जॉच भी किये, कई पदाधिकारी भी किये जॉच प्रतिवेदन को दबाकर रख दिया गया, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। आवेदिका ने असंतुष्ट होकर माननीय उच्च न्यायालय, पटना में रीट याचिका संख्या–538/2005 दाखिल की, जिसमें दिनांक– 13.11.2007 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा जिला पदाधिकारी को मामले की सुनवाई कर आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया, जिसकी जानकारी आवेदिका को समय पर नहीं हो सकी, जिस कारण प्रस्तुत वाद दाखिल करने में देरी हुई है।

आवेदिका ने विपक्षी संख्या–1 किरण देवी, पति– अनिल कुमार झा उच्च जाति की श्रेणी से आते है और उनका आवास ब्राहमण टोली में है, जबकि आवेदिका पोषक क्षेत्र गोढ़ी जाति बाहुल्य से आती है। विपक्षी के उपर आवेदिका को वरीयता मिलनी चाहिए। विपक्षी को प्रावधान के विरूद्ध चयन किया गया है जो ग्राम सभा में उपस्थित भी नहीं थी। अतएव विपक्षी का चयन अवैध है।

सी०डब्लू०जे०सी० संख्या– 538/2005 शान्ति देवी बनाम राज्य एवं बिहार एवं अन्य में पारित आदेश के आलोक में आवेदिका के आवेदन के आलोक में आवेदिका एवं विपक्षी दोनों को नोटिस निर्गत किया गया।

प्रतिपक्षी किरण देवी ने उल्लेख किया है कि केन्द्र संख्या–2 वर्त्तमान 18 गोढ़ी जाति बाहुल्य न होकर सामान्य जाति बाहुल्य ब्रह्मण जाति पोषक क्षेत्र था और प्रत्यर्थी एक मात्र योग्य और मेधा सूची में प्रथम स्थान रखने वाली आवेदिका थी, जिस वजह से आम सभा में प्रतिपक्षी संख्या–1 किरण देवी का चयन किया गया और उन्हें ही नियुक्ति पत्र आंगनवाड़ी नियमावली के प्रावधान के अनुसार सही रूप से किया गया। पुरीख पंचायत के तत्कालीन मुखिया और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कहरा द्वारा प्रतिपक्षी संख्या–1 का सर्वसम्मति से चयन किया गया जो बिल्कुल ही नियम के अनुकूल है, बल्कि अपीलार्थी द्वारा यह आरोप लगाया जाना कि उनका चयन ग्राम सभा में हुआ था, बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है। प्रतिपक्षी संख्या–1 का यह कथन कि अपीलार्थी के श्वसुर सरकारी सेवा में पदस्थापित थे, जिस वजह से आंगनवाड़ी चयन मार्गदर्शिका 2004 के नियम 3(ड़) के मुताविक अभ्यर्थी के सगे संबंधी के सरकारी और अर्द्ध सरकारी सेवकों आदि में रहने के कारण वह अयोग्य घोषित होगी और उसका चयन आंगनवाड़ी सेविका के पद पर नहीं हो सकता है। साथ ही आवेदिका शांति देवी मुखिया (उमेश मुखिया) के भाभी भी है इसलिए चयन से बंचित रखा गया क्योंकि जन प्रतिनिधि के संबंधी थी। सामान्य जाति बहुल पोषक क्षेत्र रहने के कारण सर्वथा योग्य और मेधा सूची में अपीलार्थी से उपर रहने के कारण अर्थात अपीलार्थी को मात्र 305 अंक है जबकि प्रतिपक्षी संख्या–1 को 394 अंक रहने के कारण आम सभा में दिनांक– 10.1.2004 को सर्वसम्मति से चयनित किया गया तथा उसी अनुसार नियुक्ति पत्र दिया गया और उस दिन से लगातार प्रतिपक्षी काम करती आ रही है। यह कि अपीलार्थी द्वारा यह वाद श्रीमान् के न्यायालय में दाखिल किया गया है जो सर्वथा कालवाधित है (Time bond) है क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय का क्रिमिनल मिस वाद संख्या– 538/2005 दिनांक– 13.11.2007 में स्पष्ट आदेश है– **Petitioner are directed to filed affidavited objection/ complaints before the District Magistrate within eight week from the date of this order.** परन्तु अपीलार्थी ने पूरे 8 वर्ष के बाद दिनांक– 12.03.2013 में यह वाद दायर की है। अपीलार्थी प्रतिपक्षी संख्या–1 को तंग करना होता है तो नियम के विपरित बिना किसी आधार के और माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश के विरूद्ध 8 सप्ताह के बजाय 6 वर्ष बाद यह वाद दाखिल किया गया है, जो प्रतिपक्षी संख्या–1 को नाहक परेशान करने के नियत से यह वाद दाखिल किया गया है। प्रतिपक्षी के अनुसार अपीलार्थी के मुख्य आरोप जाति बाहुल्य वर्ग का आंगनवाड़ी केन्द्र के पोषक क्षेत्र में सर्वेक्षण के आधार पर लाभार्थी परिवारों में सबसे अधिक परिवार वाला को और उसके सर्वेक्षण पंजी के अनुसार कुल 2166 वार्ड संख्या– 6,7,8 मिलाकर एक पोषक क्षेत्र गोढ़ी टोला बना था, जिसमें सामान्य जाति 800 और अति पिछड़ा 593 लाभार्थी परिवार है। सामान्य जाति बहुल पोषक क्षेत्र है न कि गोढ़ी जाति बाहुल्य। ऐसी स्थिति में प्रतिपक्षी संख्या–1 का चयन नियमानुकूल हुआ है और आम सभा में सर्वसम्मति से चयन किया गया है और तत्कालीन केन्द्र संख्या–2 का संचालन नियमानुकूल कर रही है। अतएव अपीलार्थी के वाद को खारीज करने की अपील की है।

अपीलार्थी एवं प्रतिपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख तथा इसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया।

संलग्न कागजातों से स्पष्ट है कि ग्राम– पुरीख, टोला– गोढ़ी टोला, पोस्ट– पुरूषोत्तमपुर, प्रखण्ड– सत्तरकटैया, जिला– सहरसा में सेविका, सहायिका के चयन हेतु की गयी आम सभा दिनांक– 10.11.2004 से संबंधित आम सभा पंजी ,मैपिंग पंजी, आवेदन पत्र की माँग बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सत्तरकटैया, मुखिया, पंचायत सचिव से मूल में माँग की गयी। मूल अभिलेख अद्यतन अप्राप्त रहने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी, सत्तरकटैया से

अभिलेख उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी, सत्तरकटैया का पत्रांक– 145–2 दिनांक– 23.01.2015 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त अवधि में तत्कालीन पंचायत सचिव श्री सत्य नारायण यादव पदस्थापित थे, जिनके प्रभार में चयन से संबंधित मूल अभिलेख होना बताया गया है, लेकिन मूल अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया।

विवाद का मूल बिन्दू यह है कि उक्त केन्द्र के पोषक क्षेत्र में किस जाति का बाहुल्य है। अपीलार्थी का दावा है कि यह गोढ़ी बाहुल्य है अर्थात अति–पिछड़ा बाहुल्य है। जबकि प्रतिपक्षी का कहना है कि पोषक क्षेत्र सामान्य जाति बाहुल्य है। इस बिन्दु पर जाँच कर जाँच प्रतिवेदन की मांग इस कार्यालय के पत्रांक – 1418–2 दिनांक 05.06.2015 से बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सत्तरकटैया से की गई। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सत्तरकटैया ने अपने पत्रांक – 106 दिनांक 10.06.15 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आंगनबाड़ी केन्द्र गोढ़ी टोला वार्ड संख्या – 6, 7 एवं 8 को मिलाकर पोषक क्षेत्र निर्धारित है जिसमें कई टोला समाहित है। केन्द्र स्थल स्थापित करने हेतु गोढ़ी टोला नाम रखा गया था ताकि प्रथम लाभ गोढ़ियो को मिल सके। वर्ष 2005 के सर्वेसार से स्पष्ट होता है कि पोषक क्षेत्र सामान्य बाहुल्य है।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि उक्त आंगनबाड़ी केन्द्र का पोषक क्षेत्र सामान्य जाति बाहुल्य है एवं प्रतिपक्षी श्रीमती किरण देवी सामान्य जाति से आती है। अतः इनका चयन वैध है।

अपील खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं सुद्धिकृत।

जिला पदाधिकारी,
सहरसा।

31.7.2015
जिला पदाधिकारी
सहरसा।

ज्ञापांक 1927-2 /जिला विधि, सहरसा, दिनांक–31 जुलाई, 2015 ई. ।

प्रतिलिपि– जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (आई०सी०डी०एस०), सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सत्तरकटैया, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिले के बेवसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

31/7/15
प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।

31.7.15